न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज०

प्रकरण संख्या – 02/2023

तारीख रजू/ 28.06.2023

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मथुराहेडा

बनाम

रत्तीराम पुत्र श्री भगवानसिंह कौम गुर्जर निवासी अजीतपुरा

निर्णय

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत

निर्णय दिनॉक :– 17.07.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अजीतपुरा की आराजी खसरा नम्बर **162** कुल रकबा **0.38** हेक्टयर किस्म जमीन **गैर मुमकिन मरघट** में से **0.02** हेक्टयर रकबे पर **श्री** रत्तीराम पुत्र श्री भगवानसिंह ने अनधिकृत रूप से अतिकमण कर **पक्की दीवार बनाकर, टीन सेड डालकर, विटोडा, फॉसडे** डालकर अतिकमण कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मथुराहेडा द्वारा दिनांक 28.06.2023 को अतिकमी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू०अ०निरीक्षक टीटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी **रत्तीराम पुत्र श्री भगवानसिंह कौम गुर्जर निवासी अजीतपुरा** को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। मामला मरघट पर अतिकंमण करने तथा उसका रास्ता पूर्ण रूप से बन्द करने का है, जो संवेदनशील है। इसलिए प्रकरण में आंज दिनांक 17.07.2023 को मौके पर जाकर अतिकमण को हटाने की कार्यवाही संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए की गई। मौके पर ही अतिकमियों को सुना गया।

उक्त रकबा आराजी खसरा नम्बर **162** कुल रकबा **0.38** हेक्टयर किस्म जमीन **गैर मुमकिन मरघट** है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिकमित रकबे से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान **0.13 रूपये का 50 गुणा 7 रूपये** पैनल्टी आरोपित की जाती है। हल्का पटवारी को पैनलटी राशि वसूल कर राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। मांग कायमी हेतु टीआए कार्यालय हाजा को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी मथुराहेडा, भू०अ०निरीक्षक टिटपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible] 178 [illegible] 2023-24 [illegible] 7/- [illegible]

31/7/23

तहसीलदार

कठूमर, अलवर(राज०)